संख्या: 22/2018/534/छप्पन-2018-81/13

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2018

विषय: जनपद इलाहाबाद स्थित एयरपोर्ट पर सिविल ऐन्क्लेव के निर्माण एवं कैट-1 आई0एल0एस0 **(Instrument Landing System)** की स्थापना तथा एयरपोर्ट को मुख्य मार्ग से फोरलेन सड़क मार्ग से जोड़े जाने हेतु अतिरिक्त 23.0995 हैक्टेयर भूमि के क्रय हेतु मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद इलाहाबाद स्थित एयरपोर्ट पर सिविल ऐन्क्लेव के निर्माण एवं कैट-1 आई0एल0एस0 **(Instrument Landing System)** की स्थापना तथा एयरपोर्ट को मुख्य मार्ग से फोरलेन सड़क मार्ग से जोड़े जाने हेतु अतिरिक्त 23.0995 हैक्टेयर भूमि के क्रय के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक मार्च, 2018 में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(1) जनपद इलाहाबाद स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल ऐन्क्लेव की स्थापना हेतु आपसी समझौते के आधार पर क्रय की जाने वाली आवश्यक 30.391 हैक्टेयर भूमि जिसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कुल रू0 2,89,21,65,906/- (रूपए दो अरब नवासी करोड़ इक्कीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ छः मात्र) शासनादेश संख्या-21/2016/1817/छप्पन-2015-81/2013 दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा निर्गत की जा चुकी है, का कार्योत्तर अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) मण्डलायुक्त, इलाहाबाद द्वारा इंगित जनपद इलाहाबाद में स्थित एयरपोर्ट पर कैट-1 आई0एल0एस0 की स्थापना तथा एयरपोर्ट को मुख्य मार्ग से फोरलेन सड़क मार्ग से जोड़े जाने हेतु 23.0995 हैक्टेयर भूमि को समस्त भार मुक्त एवं निःशुल्क रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/राज्य सरकार/लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध

कराए जाने के लिए आपसी समझौते के आधार पर राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 में विहित व्यवस्था के अनुरूप क्रय किए जाने हेतु वांछित अतिरिक्त धनराशि रूपए 2,14,59,09,700/- (रूपए दो अरब चौदह करोड़ उनसठ लाख नौ हजार सात सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(3) दिनांक 24 फरवरी, 2014 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 में उल्लिखित भूमि के प्रस्ताव में वर्तमान में हुए परिवर्धन/परिवर्तन के अनुसार परिवर्धित/परिवर्तित भूमि की आवश्यकतानुसार भूमि क्रय किया जाए और तदनुसार एम0ओ0यू0 में यथा प्रक्रिया संशोधन किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु सुसंगत प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

<u>पृ0संख्या-22/2018/534(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
4- जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
5- अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली।
6- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव